77

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 340–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–15 – पारित व्दारा – तहसीलदार गंज बासोदा जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 89 अ–6/2014–15

रघुनाथ सिंह पुत्र दिमान सिंह रघुवॅशी
ग्राम पवई तहसील बासोदा जिला विदिशा —— आवेदक

विरूद्ध

मेहरवान सिंह पुत्र खिलानसिंह रघुवॅशी
ग्राम इकोदिया हाल मुकाम लालपठार
सरूपनगर तहसील बोसादा जिला विदिशा ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक–1 से 6 के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 16– 2 –2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार गॅज वासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 89 अ–6/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–9–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार गंज वासोदा को आवेदन दिनांक 1–6–15 प्रस्तुत कर मांग की कि उसने ग्राम मगरइ स्थित भूमि सर्वे नंबर 20 रकबा 0.513 है., सर्वे नंबर 21 रकबा 0.052 हैक्टर, सर्वे नंबर 145 रकबा 1.526 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.091 है.

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.4.2012 से क्रय किया है अतः विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 89 अ-6/2014-15 पंजीबद्ध किया एंव विक्रेता को सुनवाई हेतु आहुत किया, जिस पर विक्रेता आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उसने चार लाख रूपया कर्ज लिया है जिसमें से 1,10,000/-वापिस कर दिया है जिसके कारण नामान्तरण न किया जावे। तदुपरांत आवेदक ने दिनांक 21-9-15 को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर दीवानी न्यायालय में वाद विचारित होने से नामान्तरण कार्यवाही रोके जाने की आपत्ति की। तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 29-9-15 पारित किया एंव सिविल न्यायालय से स्थगन न होने के कारण आवेदक का धारा-32 का आवेदन अमान्य किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ बहस के दिन उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लेखी तर्क 7 दिवस में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। अनावेदक के अभिभाषक की ओर से लेखी बहस प्राप्त। आवेदक के अभिभाषक की ओर से आदेश पारित होने के दिन तक लेखी बहस प्रस्तुत न होने के कारण निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो के आधारों , अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एंव अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भले ही आवेदक तहसीलदार के समक्ष आपत्ति कर रहा है कि उसने चार लाख रूपया कर्ज लिया है जिसमें से 1,10,000/-वापिस कर दिया है जिसके कारण नामान्तरण न किया जावे एंव वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में वाद प्रचलित होने से आवेदक नामान्तरण

कार्यवाही रोकने की मांग कर रहा है, परन्तु अनावेदक वाद विचारित भूमि का पंजीकृत विकय पत्र व्दारा केता है एंव पंजीकृत विकय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं किया जाता - नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती , क्योंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय से स्थगन आदि भी आवेदक के हित में नहीं है जिसके कारण तहसीलदार वासोदा व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 29-9-15 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार गॅज वासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 89 अ-6/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-9-15 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर